*शिक्षा के लिए विकलाँगता के मानक 2005 (Disability Standards for Education 2005)* की 2020 की समीक्षा

चर्चा पत्र: एर्ली चाइल्डहुड (प्रारम्भिक बाल्यावस्था) की शिक्षा और देखरेख में शामिल विकलाँग बच्चे

# प्रस्तावना

इस चर्चा पत्र का उद्देश्य *शिक्षा के लिए विकलाँगता के मानक 2005 (Disability Standards for Education 2005)* (मानक)की 2020 की समीक्षा के लिए एर्ली चाइल्डहुड (प्रारम्भिक बाल्यावस्था) की शिक्षा तथा देखभाल से सम्बन्धित ऑस्ट्रेलियाई सरकार के परामर्शों का समर्थन करना है। यह 16 जुलाई 2020 को प्रकाशित पहले [चर्चा पत्र](https://disabilitystandardsreview.education.gov.au/discussion_paper/) के बाद आता है, जिसमें मानक की भूमिका और समीक्षा के उद्देश्य और इसकी सीमा को निर्धारित किया गया था।

जबकि इस चर्चा पत्र में हम यह निर्धारित करते हैं कि *विकलाँगता भेदभाव अधिनियम 1992 (Disability Discrimination Act 1992)* और मानक प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल पर कैसे लागू होते हैं। हम यह विवरण देते हैं कि पिछली समीक्षाओं ने हमें प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा व देखभाल और मानकों के बारे में क्या बताया है, हम इस समीक्षा में क्या सीखना चाहते हैं, और आप इसमें कैसे शामिल हो सकते/सकती हैं। इस पत्र में चर्चा से जुड़े सवाल भी शामिल हैं जिनसे हमें आपके विचारों और अनुभवों को सीखने में मदद मिलती है।

इस बात का सुदृढ़ प्रमाण है कि **किसी बच्चे/बच्ची के प्रारम्भिक वर्षों का उनके भविष्य के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है**। प्रारम्भिक बाल्यावस्था में ग्रहण की गई योग्यताएँ और क्षमताएँ व्यक्ति के जीवन में आगे चलकर सफल होने और उसके कल्याण के लिए मूलभूत होती हैं।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल बच्चों को एक सुरक्षित परिसर में सीखने और विकास करने की नींव प्रदान करती है और साथ-साथ बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ सामाजिक मेलजोल करने के अवसर भी देती है। बच्चे/बच्ची के विकास में लाभ देने के साथ-साथ, प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल कामकाजी परिवारों को काम पर वापिस लौटने के लिए समर्थन भी देती हैं।

2019 की दिसम्बर की तिमाही में, 9,00,000 से अधिक परिवारों के 13 लाख बच्चों ने प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल सेवाओं में भाग लिया। 2018 में, ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो (Australian Bureau of Statistics) के विकलाँगता, वयोवृद्धि व देखभालकर्ता सर्वेक्षण (Survey of Disability, Ageing and Carers - SDAC) में यह सूचित किया गया कि **0-4 साल के 4 प्रतिशत बच्चे विकलाँगता से ग्रस्त हैं**।

# विकलाँगता भेदभाव अधिनियम 1992 (*Disability Discrimination Act 1992*) *और एर्ली चाइल्डहुड (प्रारम्भिक बाल्यावस्था) की शिक्षा एवं देखभाल*

[***Disability Discrimination Act 1992* (DDA)**](https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00125)कॉमनवेल्थ का एक कानून है जो करीब तीन दशकों से लागू है।

DDA के तहत, **किसी व्यक्ति के साथ विकलाँगता के आधार पर भेदभाव करना गैर-कानूनी** है। DDA विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को लोक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र शामिल है, में भेदभाव से सुरक्षा देता है।प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल की सभी सेवाओं के लिए यह ज़रुरी है कि वे **DDA** का अनुपालन करें।

ऐसा इसलिए है क्योंकि **DDA की धारा 22** किसी शिक्षा प्राधिकरण के लिए यह ग़ैर-कानूनी बनाती है कि वह किसी व्यक्ति के भर्ती के लिए किए आवेदन को इस कारणवश मना या असफल करे, अथवा भर्ती किए जाने पर ऐसी शर्तें या नियम लगाए, जिससे उस व्यक्ति की विकलाँगता के आधार पर उसके साथ भेदभाव होता हो। किसी शिक्षा प्रदाता के लिए किसी व्यक्ति की विकलाँगता के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना भी गैर-कानूनी है, इसमें ऐसा पाठ्यक्रम विषय-वस्तु तैयार करना शामिल है जो उस व्यक्ति को भाग लेने से अलग रखता हो।

यदि किसी प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाता को DDA में परिभाषित तरीके के अनुसार शिक्षा प्राधिकरण या शिक्षा प्रदाता नहीं माना जाता है, तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वह **DDA की धारा 24** की कसौटी पर खरे उतरें, जो उनके लिए माल, सेवाओं या सुविधाओं के एक प्रदाता के तौर पर किसी व्यक्ति को उसकी विकलाँगता के कारण उस माल, सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदान करने से इंकार करना गैर-कानूनी बनाती है। इसमें वे शर्तें व नियम शामिल हैं जो यह दर्शाती हैं कि प्रासंगिक माल या सेवाएँ किस प्रकार अन्य लोगों को उपलब्ध कराई जाएँगी।

DDA के तहत, किसी प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल **प्रदाता के लिए यह ज़रुरी है कि वह** विकलाँगता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को समायोजित करने के लिए **यथोचित समायोजन करे**, बशर्ते कि समायोजन करने के परिणामस्वरुप प्रदाता को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़े।

# शिक्षा और एर्ली चाइल्डहुड (प्रारम्भिक बाल्यावस्था) की शिक्षा एवं देखभाल के लिए विकलाँगता मानक

***शिक्षा के लिए विकलाँगता मानक 2005 (Disability Standards for Education 2005)*** (मानक) 18 अगस्त 2006 को लागू किए गए थे। ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थी **उन विद्यार्थियों के समान आधार पर शिक्षा प्राप्त कर सकें और इसमें भाग ले सकें जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं**।

मानक DDA के अधीन आने वाले कानून हैं; इसका यह अर्थ है कि ये DDA के तहत आते हैं। मानकों का उद्देश्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं के दायित्वों, और DDA के तहत विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों तथा उनके परिवारों के अधिकारों को स्पष्ट करना है। इनका उद्देश्य DDA के तहत **अधिकारों और दायित्वों को समझना आसान बनाना है**।

मानक निम्नलिखित से सम्बन्धित **विकलाँग विद्यार्थियों के अधिकार** और **शिक्षा प्रदाताओं के दायित्व** निर्धारित करते हैं:

* नामांकन
* सहभागिता
* पाठ्यक्रम का विकास, इसकी मान्यता और सुपुर्दगी
* विद्यार्थी सहायता सेवाएँ, और
* उत्पीड़न और शोषण को मिटाना।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल के संदर्भ में, **मानक “प्रीस्कूलों, इसमें किंडरगार्टन शामिल हैं (पर चाइल्ड-केयर प्रदाता नहीं)”** [[1]](#footnote-1)  **पर लागू होते हैं**।

इसका यह अर्थ है कि प्रीस्कूलों (किंडरगार्टन सहित) और उनकी सेवाओं का प्रयोग करने वाले बच्चों और परिवारों के DDA के तहत अधिकार और दायित्व मानकों द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं। चाइल्ड केयर प्रदाता और उनकी सेवाओं का प्रयोग करने वाले परिवार किन्हीं ऐसी उदाहरणों पर निर्भर करते हैं जो DDA के तहत अधिकारों व दायित्वों की उनकी व्याख्या को निदेशित करने के लिए निजी अदालती मामलों के परिणामों के माध्यम से निर्धारित की जा सकती हैं।

मानकों की 2010 और 2015 में पहले समीक्षा की गई थी। **2010 और 2015** दोनों **समीक्षाओं में यह सुझाव दिया गया था कि मानकों को आगे बढ़ाकर चाइल्ड केयर प्रदाताओं तक लागू किया जाए।** 2015 की समीक्षा में यह पता चला था कि क्षेत्र में महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे जिसमें प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा एवं देखभाल सेवाओं के शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक ज़ोर दिया गया था, और यह ध्यान दिया गया था कि मानकों का चाइल्ड केयर तक न बढ़ाया जाना असंगत प्रतीत होता था।

पिछली समीक्षाओं में यह भी पता चला था कि प्रीस्कूलों / किंडरगार्टन और चाइल्ड केयर प्रदाताओं के बीच मानकों में पाए जाने वाले अंतर प्रारम्भिक बाल्यावस्था के शिक्षा और देखभाल क्षेत्र में लागू पेचीदा प्रबंधों को नहीं दर्शाते थे।

* **प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाताओं द्वारा सेवाओं के अलग-अलग प्रकार प्रदान किए** जाते हैं। इनमें प्रीस्कूल, किंडरगार्टन, केन्द्र आधारित डे केयर, फैमिली डे केयर, इन होम केयर, स्कूली कार्य समय के बाहर की देखभाल (स्कूली आयु वाले बच्चों के लिए दी जाने वाली देखभाल सहित), और अलग-अलग प्रकार की अन्य सेवाएँ शामिल हैं।
* **प्रारम्भिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षण कार्यक्रम, जिनमें प्रीस्कूल के कार्यक्रम शामिल हैं, अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग परिसरों में प्रदान किए जाते हैं** (जैसे कि हो सकता है कि केन्द्र आधारित डे केयर सेवा प्रीस्कूल कार्यक्रम प्रदान करे)।

# मानकों की 2020 की समीक्षा

मानकों की 2020 की समीक्षा के भाग के तौर पर, हम यह जांच कर रहे हैं कि **परिवार, शिक्षक और प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाता किस सीमा तक DDA के तहत अपने मौजूदा अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानते, समझते और इनका अनुपालन करते हैं।**

हम इस जानकारी का प्रयोग हमें यह निर्धारित करने में सहायता करने के लिए करेंगे कि निम्नलिखित करने के लिए किस चीज़ की ज़रुरत हो सकती है:

* माता-पिता और देखभालकर्ताओं को विकलाँग बच्चे/बच्ची के अधिकारों को समझने और उसका पक्षसमर्थन करने में सहायता करने के लिए
* चाइल्ड केयर प्रदाताओं को विकलाँग बच्चों से सम्बन्धित उनके दायित्वों के बारे में अधिक निश्चितता और स्पष्टता देने के लिए
* विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों का यह समर्थन करने के लिए कि उन्हें उन बच्चों के समान आधार पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल के परिसर में शिक्षा तक पहुँच मिलती है जो विकलाँगत नहीं होते हैं।

# समीक्षा में कैसे शामिल हों

हम **हर किसी ऐसे व्यक्ति से टिप्पणियाँ प्राप्त करने का स्वागत करते हैं** जो योगदान देना चाहता है।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल के लिए हमारे लोक परामर्श अगस्त से लेकर सितम्बर 2020 तक चलेंगे। हम इसमें जुड़ने और अपने मत प्रकट करने के कई तरीके पेश करते हैं। इसमें प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल में विकलाँग बच्चों से सम्बन्धित विशिष्ट वेबीनार और फोकस ग्रुप (ध्यान देने वाले समूह) शामिल होंगे। जैसे-जैसे परामर्श की तिथियों की पुष्टि होगी, उन्हें [समीक्षा के परामर्श केन्द्र (Review's Consultation Hub)](http://www.disabilitystandardsreview.education.gov.au/) पर सूचित किया जाएगा।

परामर्श केन्द्र (Consultation Hub) पर, आप अपनी खुद की लिखित, वीडियो और ऑडियो सब्मिशन जमा कर सकते/सकती हैं या प्रश्नावली पूरी कर सकते/सकती हैं। ऑनलाइन तरीके से परामर्श करने के कई अवसर उपलब्ध होंगे, जिनमें शामिल होने हेतु आप अपनी रुचि व्यक्त कर सकते/सकती हैं।

महामारी के फलस्वरुप अधिकांश परामर्श ऑनलाइन तरीके से किए जाएँगे।

और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए [समीक्षा के परामर्श केन्द्र (Review's Consultation Hub)](http://www.disabilitystandardsreview.education.gov.au/) देखें।

# प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाताओं के साथ परामर्श

ऑस्ट्रेलियाई बाल शिक्षा एवं देखभाल गुणवत्ता प्राधिकरण (Australian Children’s Education and Care Quality Authority - ACECQA) एक राष्ट्रीय प्राधिकरण है जो प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा एवं देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता ढांचे का प्रबंध करने में सभी सरकारों की सहायता करता है। 2020 की समीक्षा के लिए जानकारी देने हेतु ACECQA प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाताओं के साथ परामर्शों का आयोजन करेगा।

ACECQA के प्रदाताओं के साथ किए जाने वाले परामर्श इस चर्चा पत्र में कई मुद्दों का अन्वेषण करेंगे, और प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तथा स्कूली-आयु की शिक्षा एवं देखभाल में विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों की पहुँच और सहभागिता का समर्थन करने के लिए अन्य अवसरों पर प्रदाताओं के विचार जानेंगे।

ACECQA प्रत्यक्ष परामर्श प्रक्रिया के बारे में प्रदाताओं के साथ परामर्श करेगा। और अधिक जानकारी के लिए, कृपया [ACECQA की वेबसाइट](https://www.acecqa.gov.au/have-your-say-DDA) देखें।

व्यक्तिगत प्रदाताओं का स्वागत है कि वे ACECQA की अगुआई में किए जाने वाले परामर्शों की बजाए या इसके साथ-साथ समीक्षा में सीधे-सीधे सब्मिशन जमा कराएँ।

# अपने विचार प्रकट करें

हम **आपके विचार जानना चाहते** हैं। निम्नलिखित सवाल आपके सोच-विचार करने के लिए हैं ताकि **प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल में शामिल विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों और उनके माता-पिता व देखभालकर्ताओं के अनुभवों के बारे में समीक्षा में आपके विचार देने में आपको मदद मिल सके।**

आप सब्मिशन जमा करके, प्रश्नावली का जवाब देकर या समीक्षा में किन्हीं अन्य तरीकों से योगदान देकर सवालों का जवाब दे सकते/सकती हैं। ये सवाल मात्र एक संदर्शिका है ताकि हमें आपके विचारों और अनुभवों को समझने में मदद मिल सके।

जवाब देते समय, कृपया हमें बताएँ कि क्या आप एक माता या पिता या देखभालकर्ता, शिक्षक, पक्षसमर्थक हैं अथवा एक प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाता हैं। जहाँ उचित हो, कृपया हमें यह भी बताएँ कि आपकी टिप्पणियाँ प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा एवं देखभाल क्षेत्र के कौन से भाग से सम्बन्धित हैं, जैसे कि प्रीस्कूल, केन्द्र आधारित डे केयर, फैमिली डे केयर, इन होम केयर (घर में देखभाल), स्कूली कार्य-समय के बाहर की देखभाल, या सेवा का अन्य प्रकार शामिल है।

## विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों के माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए सवाल

### **प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल के साथ अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएँ**

* भर्ती और ऐक्सेस (पहुँच): अपनी संतान के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल तक पहुँच प्राप्त करते समय आपके अनुभव कैसे रहे हैं? प्रक्रिया कैसी थी और क्या आप भर्ती करने के परिणाम तथा पहुँच प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर प्रसन्न थे/थी?
* सहभागिता: क्या आपके प्रदाता ने यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित समायोजन किए थे कि आपकी संतान प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा व देखभाल में भाग ले सके? इसमें आपकी संतान द्वारा कोर्स या कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम में भाग लेना तथा सुविधाओं का प्रयोग करना शामिल है? आपके प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाता ने आपके साथ कैसे परामर्श किया? क्या आप इस परिणाम को लेकर प्रसन्न थे/थी?
* विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों का समर्थन करना: क्या आप प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा व देखभाल प्रदाताओं से अपनी संतान के लिए उचित समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हुए थे/हुई थी, इसमें जहाँ ज़रुरी हो वहाँ विशेषज्ञ समर्थन शामिल है?
* उत्पीड़न या शोषण: यदि आपने और/या आपकी संतान ने प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल परिसर में उत्पीड़न या शोषण का अनुभव किया हो, तो क्या हुआ था? इसपर ध्यान देने के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाता ने क्या कदम उठाए थे?
* अनुपालन: यदि आपको लगा था कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाता अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा था, तो इसका निपटान कैसे किया गया था? क्या आपको यह पता था कि शिकायत कैसे करनी है? क्या हुआ था?
* ट्रांज़िशन (अवस्थांतर): प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल और स्कूल के बीच अपनी संतान के ट्रांज़िशन (अवस्थांतर) करने के अनुभव के बारे में हमें बताएँ? क्या आपके प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल प्रदाता ने स्कूल के साथ सूचना साझी की थी?
* विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी बच्चे: अपनी संतान के प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने के अनुभव के बारे में हमें बताएँ। क्या आपको लगा था कि यह सहभागिता सांस्कृतिक तौर पर उचित है?
* विशिष्ट अनुभव: विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तक पहुँच और इसमें सहभागिता अन्य परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है जैसे कि आपकी संतान की आयु, उसका लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, इंटरसेक्स स्टेट्स, जातिय मूल या नस्ल, और सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध पृष्ठभूमि। आपकी परिस्थितियों का आपकी संतान के प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तक पहुँच और इसमें सहभागिता करने पर प्रभाव कैसे पड़ा था, इसके बारे में बताएँ।
* COVID-19: क्या COVID-19 के दौरान आपकी संतान के अनुभव उसके प्रतिदिन के अनुभवों से अलग थे? पुरानी आपातकालीन स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह कैसा था?

### **हम यह समझना चाहते हैं कि आपको अपने और अपनी संतान के अधिकारों के बारे में क्या जानकारी है**

* क्या आपने DDA का नाम सुना है? यदि हाँ, तो कहाँ?
* क्या आप यह समझते/समझती हैं कि DDA क्या करती है?
* क्या आपको लगता है कि जब बात प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने की होती है तो आप अपने और अपनी संतान के अधिकार समझते/समझती हैं?
* DDA के प्रति जागरुकता को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
* DDA के तहत आपकी संतान के अधिकारों को लेकर आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

## एर्ली चाइल्डहुड (प्रारम्भिक बाल्यावस्था) शिक्षकों एवं प्रदाताओं के लिए सवाल

**विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों के साथ अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएँ**

* भर्ती और ऐक्सेस (पहुँच): प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तक पहुँच प्राप्त करने वाले विकलाँग बच्चों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है?
* सहभागिता: क्या आप यथोचित समायोजन करने को लेकर अपने दायित्व समझते/समझती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलाँग बच्चा/बच्ची प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल में भाग ले सके? इसमें कोर्स और कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम में भाग लेना और सुविधाओं का प्रयोग करना शामिल है? क्या आपको यह पता है कि माता-पिता/ देखभालकर्ता के साथ परामर्श कैसे करना है? यदि यथोचित समायोजन करने को लेकर आपके कोई अनुभव रहे हैं, तो कृपया हमें बताएँ।
* बच्चों का समर्थन करना: आपके विकलाँग बच्चों की शिक्षा के दौरान उनका समर्थन कैसे किया है? समर्थन का नियोजन करने में कौन-कौन शामिल था?
* अनुपालन: क्या आपकी देखरेख में किसी बच्चों ने या उनके माता-पिता/देखभालकर्ताओं ने यह कहा है कि आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे थे? आपने इसपर कैसे ध्यान दिया?
* ट्रांज़िशन (अवस्थांतर): विकलाँगता से ग्रस्त किसी बच्चे/बच्ची को प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल से स्कूल जाना शुरु करने में ट्राज़िशन (अवस्थांतर) करने में सहायता देने के अपने अनुभव के बारे में हमें बताएँ।
* विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी बच्चे: विकलाँगता से ग्रस्त एबोरिजनल और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी बच्चों का समर्थन करने के अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएँ। शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने में आपने उनकी मदद कैसे की? आपने उनके और उनके परिवारों व देखभालकर्ताओं के साथ परामर्श कैसे किया? क्या आपको यह लगा था कि आपके पास सांस्कृतिक तौर पर उचित ढंग से सहभागिता करने के लिए सांस्कृतिक दक्षता का पर्याप्त स्तर था?
* विशिष्ट अनुभव: विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल तक पहुँच और इसमें सहभागिता का अन्य परिस्थितियों द्वारा प्रभाव पड़ सकता है जैसे कि उनकी या उनके माता-पिता या देखभालकर्ता की आयु, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, इंटरसेक्स स्टेट्स, जातिय मूल या नस्ल, और सांस्कृतिक व भाषाई तौर पर विविध पृष्ठभूमि। यदि आपके ऐसे बच्चों या माता-पिता और देखभालकर्ताओं के साथ अनुभव हैं जिनपर अन्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा हो, तो हमें बताएँ कि आपके उनकी संतान को प्रारम्भिक बाल्यावस्था और देखभाल तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें सहभागिता करने में कैसे मदद की थी।
* COVID-19: क्या COVID-19 ने विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों के साथ आपके अनुभव को प्रभावित किया है? प्राकृतिक आपदाओं जैसी अन्य मुख्य घटनाओं के दौरान क्या प्रभाव पड़ा था?

### **हम यह समझना चाहते हैं कि आपको अपने दायित्वों के बारे में क्या जानकारी है**

* क्या आपने DDA का नाम सुना है? यदि हाँ, तो कहाँ?
* क्या आप यह समझते/समझती हैं कि DDA क्या करती है?
* क्या आपने DDA पर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त या प्रदान किया है? इसमें क्या शामिल था?
* क्या आपको लगता है कि जब बात विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों द्वारा प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें भाग लेने की होती है तो आप अपने दायित्वों को समझते/समझती हैं?
* आपका प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल प्रदाता / मैनेजर DDA के तहत आपके दायित्वों को पूरा करने में आपका समर्थन कैसे करता है?
* क्या आप यथोचित समायोजन पर समझौता-वार्ता करने और इसे लागू करने को लेकर विश्वस्त महसूस करते/करती हैं? क्या आपको यह पता है कि यह निर्धारित कैसे करना है कि ऐसा करने से अनुचित कठिनाई सामने आ सकती है?
* DDA के प्रति जागरुकता को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
* DDA के तहत आपके दायित्वों को लेकर आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

# सुलभता

यह सुनिश्चित करने में मदद देने के लिए कि विकलाँगता से ग्रस्त लोग समीक्षा में भाग ले सकते हैं और अपने विचार तथा अनुभव सांझे कर सकते हैं, परामर्श सुलभ होंगे, इसमें पढ़ने में आसान (Easy Read) दस्तावेज़, Auslan-English दुभाषिए, और कैप्शन (अनुशीर्षक) देना शामिल है। पढ़ने में आसान तथा अन्य सामग्री समय से पहले उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोगों को यह विचार करने में सहायता मिल सके कि कौन सी जानकारी प्रदान की जा रही है और कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। समीक्षा में इस बारे में लोगों की प्राथमिकताओं पर ग़ौर किया जाएगा कि वे अपने अनुभव कैसे सांझा करना चाहते हैं। लोग यह चयन कर सकते हैं कि वे कैसे भाग लेना चाहते हैं, इसमें अपने पसंदीदा समय में ऑनलाइन सवालों का जवाब देना या चर्चा के लिए जुड़ना शामिल है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से श्रेष्ठ प्रयास करेंगे कि परामर्शों की अवधि और समय सहित अवसर लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं और निवेदनों का समायोजन करते हैं।

# लोक परामर्श से हमें सरकारों को सलाह देने की जानकारी मिलेगी

समीक्षा पर आपके विचार यह परिज्ञान प्रदान करेंगे कि प्रारम्भिक बाल्यवास्था की शिक्षा और देखभाल के परिसर में प्रदान की जाने वाली शिक्षा व सिखलाई के संबंध में DDA के तहत सेवाएँ और परिवार अपने अधिकार और दायित्व कितने अच्छे से समझते हैं। यदि हमें यह पता चलता है कि वर्तमान प्रबंध ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम यह सुझाव देंगे कि क्या बदलने की आवश्यकता है, इसे कैसे बदलना है, और किन समयसीमाओं में ये बदलाव लागू किए जाने चाहिए।

हम राज्य एवं टेरेटरी की सरकारों के साथ सहभागिता में यह काम करेंगे, और अंतिम रिपोर्ट तथा रिपोर्ट से संबंधित सुझाव तैयार करने के लिए हम इनके साथ करीबी से और सहयोगपूर्ण ढंग से काम करेंगे। हमारा इरादा ऑस्ट्रेलियाई सरकार, राज्यों व टेरेटरियों, तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षा प्रदाताओं के बीच राष्ट्रीय तौर पर सहयोगात्मक कार्यवाही के लिए अवसरों पर ध्यान देना है।

समीक्षा रिपोर्ट दिसम्बर 2020 में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री (Federal Minister for Education) को प्रदान की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट 2021 की शुरुआत में सभी सरकारों को उनके द्वारा विचार किए जाने के लिए उन्हें प्रस्तुत की जाएगी।

## सब्मिशन (प्रस्तुति) जमा करना

लोगों और संस्थाओं को [Review Consultation Hub](http://www.disabilitystandardsreview.education.gov.au/) (समीक्षा परामर्श केन्द्र) पर सब्मिशन जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

इस चर्चा पत्र पर जवाब के तौर पर लिखित, वीडियो और ऑडियो सब्मिशन स्वीकार की जाएँगी। लिखित सब्मिशन 3000 शब्दों तक सीमित होनी चाहिए।

केवल वे सब्मिशन जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक तौर पर प्रदान नहीं किया जा सकता है, हॉर्ड कॉपी के तौर पर निम्नलिखित पते पर दी जा सकती हैं:

Disability Standards for Education Review Team

Disability Strategy Taskforce

GPO Box 9880

Canberra City ACT 2601

## संपर्क

इस पत्र सहित समीक्षा के बारे में पूछताछ के लिए, कृपया शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार विभाग (Department of Education, Skills and Employment) से [DisabilityStrategy@dese.gov.au](mailto:DisabilityStrategy@dese.gov.au) पर संपर्क करें।

समीक्षा परामर्शों में कैसे शामिल होना है, इसमें यह शामिल है कि वेबीनार के लिए रजिस्टर कैसे करना है या प्रश्नावली कैसे पूरी करनी है, इस संबंधी पूछताछ के लिए The Social Deck से [engage@thesocialdeck.com](mailto:engage@thesocialdeck.com) या 0491 617 118 पर संपर्क करें।

1. *शिक्षा के लिए विकलाँगता मानक 2005।* <https://www.legislation.gov.au/Details/F2005L00767> पर उपलब्ध। [↑](#footnote-ref-1)